

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100598

दिनांक: 06/04/2026

लोक सूचना

श्रीमति SHRI SHEWARAM DEVELOPERS TH-PARTNER KAMLA RANI LUDHANI LLP पत्नी श्री SHEWARAM LUDHANI जाति SINDHI निवासी PLOT NO 44-47, SHREE KRISHNA VIHAR GRAM MANYAWAS MANSAROVER JAIPUR

श्री REKHA KUMAWAT पुत्री श्री RAM AVTAR KUMAWAT जाति HINDU निवासी E-13 CHAYA DEEP 1, MAHESH NAGAR , LAL KOTHI, JAIPUR

श्री CHIRANJI LAL पुत्र श्री BHAIRU RAM जाति HINDU निवासी TEH. ANOOPURA JAMWARAMGARH JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सिंवार, जयपुर (जयपुर)	1.) चिरंजीलाल पुत्र भैरुराम हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर नि. ग्राम अनोपपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर खातेदार	1290/199	0.045	0.045
2.	सिंवार, जयपुर (जयपुर)	1.) रेखा कुमावत पुत्री राम अवतार कुमावत हिस्सा पूर्ण जाति कुमावत नि. ई 13 छायादीप 1 वार्ड नं 15 महेश नगर लालकोठी गांधी नगर जयपुर खातेदार	1292/1289	0.045	0.045
3.	सिंवार, जयपुर (जयपुर)	1.) श्री शेवाराम डवलपर्स एलएलपी हिस्सा पूर्ण जाति (NA) कार्यालय पता प्लॉट नं 44 45 46 47 82 श्रीकृष्णा विहार ग्राम मान्यावास जयपुर	1346/1309	0.03	0.03

		खातेदार			
4.	सिंवार, जयपुर (जयपुर)	1.) श्री शेवाराम डवलपर्स एलएलपी हिस्सा पूर्ण जाति (NA) कार्यालय पता प्लॉट नं 44 45 46 47 82 श्रीकृष्णा विहार ग्राम मान्यावास जयपुर खातेदार	1345/1309	0.03	0.03
कुल					0.15

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **06-04-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & SANDHYA JYOTI DARPAN

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

